प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, चित्तौड़गढ़ थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2022
प्र.इ.रि.स ......117/22 दिनांक 6/4/2022

2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट – धाराएं 7, पी.सी. एक्ट (संशोधित) 2018
(2) अधिनियम भा.द.स. – धाराएं –
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –

3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या ....110.. समय ....5:50 P.M.
(2) अपराध के घटने का दिन सोमवार दिनांक 05.04.2022 समय 12.05 पी.एम
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 24.03.2022 समय 12.40 पी.एम.

4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटना स्थल :
(1) थाना से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 275 किलोमीटर
(2) पता – कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान पंचायत समिति गंगरार, जिला चितौड़गढ।
.... बीट संख्या .... जरायमदेही संख्या ....
(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .... जिला ....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता –
परिवादी
(1) नाम : श्री भेरूलाल रैगर
(2) पिता का नाम : श्री गुलाब रैगर
(3) आयु : 52 साल
(4) राष्ट्रीयता : भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्या .... जारी होने की तिथि .... जारी होने की जगह ....
(6) व्यवसाय : ठेकेदारी ।
(7) पता : निवासी त्रेष्ठा पोस्ट सोनीयाना तहसिल गंगरार जिला चित्तौडगढ ।

7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
श्री सत्येन्द्र सनाढ्य, पुत्र श्री ब्रजमोहन सनाढ्य उम्र 45 वर्ष निवासी 18 फ्रेंडस कॉलोनी, चामटीखेड़ा रोड, जिला चितौड़गढ हाल कनिष्ठ अभियन्ता,(संविदाकर्मी) कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान पंचायत समिति गंगरार, जिला चितौड़गढ
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो पृष्ठ अलग से नत्थी करे)
क्रम. सं. सम्पत्ति का प्रकार अनुमानित मूल्य वस्तु स्थितिः–
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 7500/– रूपये
11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट :– आरोपी श्री सत्येन्द्र सनाढ्य कनिष्ठ अभियंता कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान पंचायत समिति गंगरार, जिला चितौड़गढ द्वारा परिवादी श्री भेरूलाल रैगर द्वारा राजकिय उच्च माध्यमिक विधालय उण्डवा में कमरे निर्माण व अन्य मरम्मत कार्य के बिलो के भुगतान करवाने की एवज में दिंनाक 01.04.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 1500 रूपये ग्रहण करना तथा शैष रिश्वत राशि 7500 रूपये मांग करने पर दिंनाक 05.04.2022 को नियमानुसार ट्रेप कार्यवाही आयोजित की जाकर परिवादी श्री भेरूलाल रैगर से रिश्वत राशि 7500 रूपये लेते हुये रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री सत्येन्द्र सनाढ्य कनिष्ठ

अभियंता कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान पंचायत समिति गंगरार, जिला चितौड़गढ के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित है।

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
चितोड़गढ़ (राज.)

विषय : – रिश्वत लेते हुये पकडवाने के लिये कार्यवाही हेतु।

महोदयजी,

निवेदन है कि मेरा नाम भैरूलाल रैगर पिता गुलाब जी रैगर निवासी गांव त्रेष्ठा पोस्ट सोनियाना तहसील गंगरार जिला चितौड़गढ का रहने वाला हूँ। मेरी फर्म का नाम भैरूलाल मेटीयल सप्लार्यस त्रेष्ठा गंगरार है, मैंने रा0उ0मा0 उण्डवा एक कमरा निर्माण व दूसरा कमरा निर्माण व कमरों की मरम्मत सहित व अन्य कार्य किये जिसमें एक कमरे का भुगतान में 71800रूपये का चैंक प्राप्त किया जिसके बदले मैं जईन साहब सत्येन्द्र सनाढ्य ने 15प्रतीशत कमीशन के हिस्साब से 9000 रूपये पूर्व में दे दिया। और 1500 रूपये की और मांग कर रहा था और दूसरे कमरा भुगतान 50000 रूपये भुगतान पेटे 15 प्रतीशन कमीशन के हिस्साब से 7500 की बार–बार भुगतान का दबाव बना रहा है। मैं जेईन साहब को रिश्वत नहीं देना चाहाता हुँ। और जईन साहब को रिश्वत देते हुये रंगे हाथों पकड़वाना चाहाता हूँ। श्रीमान साहब निवेदन है कि कानूनी कार्यवाही करके न्याय दिलावे।

प्रार्थी
एस.डी./–
भैरूलाल रेगर
96800–97988

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 24.03.2022 समय 12:40 पीएम. पर परिवादी श्री भेरूलाल रेगर पुत्र श्री गुलाब रैंगर निवासी त्रेष्ठा तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया व मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को लिखित रिपोर्ट पेश की, की जेईन साहब श्री सत्येन्द्र सनाढ्य कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान पंचायत समिति गंगरार, जिला चितौड़गढ मेरे से मेरे द्वारा किये गये कार्य राजकिय उच्च माध्यमिक विधालय उण्डवा में कमरे के निमार्ण व मरम्मत के कार्य के बिलो के भूगतान करवाने के बदले पन्द्रह प्रतशित कमिशन के हिसाब से रिश्वत की मांग कर रहे है में उनको रिश्वत राशि नही देना चाहता हुं व रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं व मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी ने यह भी बताया की जेईन साहब 1:00 बजे तक ही अपने कार्यालय में रहते है, उसके बाद अपने घर चले जाते है, जिस पर कानि. मान सिंह नं. 571 को अपने ऑफिस में बुलाकर परिवादी से परिचय करवाया और हिदायत दी की परिवादी से सम्पर्क में रह कर मांग सत्यापन वार्ता करवाया जाये इसके उपरान्त श्री श्याम लाल हैड कानि न 105 से मालखाने में रखे डिजिटल वॉईस टेप रिकार्डर मंगवाकर परिवादी को कार्यालय का डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर के चालु व बन्द करने की समझाईश देकर कानि0 मानसिह को यह भी हिदायत दी की परिवादी हमराह लेकर रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाये। दिनांक 01.04.2022 को करीब 1:15 पीएम पर कानि. मान सिंह ने परिवादी से सत्यापन होने के संबंध में वार्ता करवाई गई। समय 3:00 पीएम. पर कानि. मान सिंह नं. 571 ने कार्यालय में उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया की श्रीमान के निर्देशानुसार परिवादी श्री भैरूलाल रैंगर ने दिनांक 31.03.2022 को समय करीब 5:00 पीएम पर मुझे जरिये मोबाईल वार्ता अनुसार बताया की मेरा आवश्यक कार्य होने से व रूपयों की व्यवस्था नहीं होने से मैं आप से सम्पर्क नहीं किया और बताया की मेरे पास रूपयों की व्यवस्था हो गई आप कल सुबह गंगरार आ जाना जिस पर मैं मालखाना ईन्चार्ज श्री श्याम लाल हैड कानि. न 105 से डिजिटल वॉईस टेप रिकोर्डर प्राप्त कर समय करीब 10:00 एएम. पर गंगरार बस स्टेण्ड पंहुचा जहां

परिवादी श्री भैरूलाल रैंगर मिला, परिवादी ने बताया की जेईन साहब कही बाहर गये हुये है, जो करीब 12:00 बजे के आस–पास कार्यालय में आयेगे। इस पर मैं व परिवादी दोनों सदिग्ध आरोपी श्री सत्येन्द्र सनाढ्य के आने इन्तजार करने लगे। इसके बाद जेईन साहब नही आने से परिवादी ने अपने मोबाईल से जेईन के मोबाईल पर सम्पर्क किया तो जेईन श्री सत्येन्द्र सनाढ्य ने परिवादी को बताया की मैं आपके पुत्र की दूकान पर ही आ रहा हूं। आप मुझे वहीं मिलना समय करीब 1:40 पीएम. पर जेईन अपनी कार से परिवादी के पुत्र की दूकान पर आया। जिस पर मैने परिवादी श्री भेरूलाल को टेप रिकोर्डर देकर उसके पूत्र की दूकान की और भेजा कुछ समय बाद परिवादी ने वापस आकर बताया की मेरी जेईन साहब से बात हो गई है। जेईन साहब ने मेरे से 1500 रूपये गाडी में लिए और बकाया 7500 रूपये सोमवार को लाने के लिए बोला है। इसके उपरान्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। दिनांक 01.04.2022 समय 3:30पीएम इस समय मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कक्ष में श्री दया लाल पुलिस निरीक्षक को बुलाकर उक्त कार्यवाही के सम्पूर्ण हालात से अवगत कराते हुये परिवादी श्री भैरूलाल रैंगर से सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। दिनांक 05.04.2022 समय 7:00 एएम. इस समय ट्रेप कार्यवाही मे स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से जरिये तहरीर श्रीमान् तहसीदार कार्यालय बस्सी/ चितौड़गढ जिला चितौड़गढ को प्रेषित की गई। दिनांक 05.04.2022 समय 8:00 एएम.
इस समय परिवादी श्री भैरूलाल रैंगर ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर उपस्थित आया जिन्हें कार्यालय में बैठाया गया। एवं तलबीशुद्धा दो स्वतन्त्र गवाहान उपस्थित आयें। दोनों स्वतंत्र गवाहान से उनका परिचय पूछा तो एक ने अपना नाम श्री राजेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री चन्दन सिंह चौहान उम्र 37 वर्ष निवासी दुर्ग चितौड़गढ पुलिस थाना कोतवाली जिला चितौड़गढ हाल कनिष्ठ लिपिक तहसील कार्यालय चितौड़गढ एवं दुसरे ने अपना नाम श्री उंमाशंकर धाकड़ पुत्र श्री नाथुलाल धाकड़ उम्र 26 वर्ष निवासी जावदा निमड़ी तहसील रावतभाटा जिला चितौड़गढ हाल कनिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय बस्सी जिला चितौड़गढ होना बताया। इसके उपरान्त दोनों स्वतंत्र गवाहान को उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह के रूप में उपस्थित रहने हेतु निवेदन करने पर दोनों ने अपनी–अपनी मौखिक सहमति प्रदान की। इसके उपरान्त परिवादी श्री भैरूलाल रैंगर व स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय कराकर परिवादी की दिनांक 24.03.2022 को प्रस्तुत रिपोर्ट को पढ़कर सुनाई गई व दिखाई गई। परिवादी द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र उसके द्वारा दिनांक 24.03.2022 को प्रस्तुत करना तथा उसमें अंकित तथ्य सही होने की ताईद की तथा प्रार्थना पत्र स्वंहस्तलिखित होकर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी की उपरोक्त रिपोर्ट पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके उपरान्त मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को चालुकर दोनो स्वतन्त्र गवाहान को सुनाया गया तथा गवाहान के समक्ष परिवादी ने बताया कि उक्त डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में एक आवाज उसकी है तथा दूसरी आवाज श्री सत्येन्द्र सनाढ्य, कनिष्ठ अभियंता की है। उक्त सुनी हुई वार्ता अनुसार रिश्वत राशि मांग सत्यापन की पुष्ठि हुई जिसे दोनो गवाहान ने भी स्वीकार किय दिनांक 05.04.2022 समय 8:20 एएम. पर तलबीशुद्धा जाप्ता श्री दिनेश कुमार कानि. नम्बर 553 व श्री सुरजमल कानि. नम्बर 247 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, प्रतापगढ से कार्यालय में उपस्थित आये। दिनांक 05.04.2022 समय 8:30 एएम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी एवं परिवादी श्री भैरूलाल रैंगर के मध्य हुई सत्यापन वार्ता जो कि ब्यूरो के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर मे दर्ज रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 01.04.2022 की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से रूबरू गवाहान के समक्ष श्री मान सिंह कानि0 से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की मूल एवं डब सी.डी. कम्प्यूटर से तैयार करवाई जाकर मूल सी.डी. पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर सी.डी. को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर कपडे की थैली को सिलचिट किया जाकर कपडे की थैली पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये तथा डब सी.डी. पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर रखी गई। दोनों मूल एवं डब सी.डी. को सुरक्षित मालखाने में रखा गया। दिनांक 05.04.2022 समय 9:30 एएम. पर उपरोक्त गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक दया लाल चौहान द्वारा परिवादी श्री भैरूलाल रैंगर को आरोपी सत्येन्द्र सनाढ्य को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500–500 रूपये को 15 नोट कुल 7500 रूपये के भारतीय चलन मुद्रा के करेन्सी नोट पेश किये। उपरोक्त समस्त नोटों के नम्बर निम्नानुसार है : –

1	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	8KC 351861
2	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	0DK 930841
3	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	2PE 338883
4	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3RM 483563
5	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	5HT 142714
6	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	4AN 396269
7	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	7ES 681213
8	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	6BB 210269

9	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	9HH 631955
10	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	2FD 415549
11	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	1GC 594742
12	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	5NT 791900
13	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	2PT 343641
14	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	1BU 454198
15	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	9AT 902183

परिवादी श्री भेरूलाल द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटो पर श्रीमती आशा महिला कानि0 से ब्यूरो कार्यालय के मालखाने से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को मंगवाया जाकर उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों और फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर नोटों को परिवादी श्री भेरू लाल की पहनी हुई पेन्ट की बांयी जेब में कोई शैः नही छोडते हुए रखवाये गये। श्री सुनिल कानि0 से एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस रंगहीन घोल में श्रीमती आशा महिला कानि0 की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगे तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री आशा महिला कानि0 से बाहर फिकवाकर फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी पुनः सुरक्षित मालखाने मे रखवाई गई तथा उपरोक्त कांच के गिलास को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे, तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर हाथ फैरकर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। श्री सुनिल कुमार कानि0 से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, दो नई गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। इसके पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो गवाहान, परिवादी एवं स्टाफ का आपस मे परिचय करवाया गया। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी–अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन–देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादी श्री भेरूलाल को डिजीटल टेप रिकार्डर देते हुए हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि के लेन–देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को टेप करें। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्रीमती आशा महिला कानि0 को बाद हिदायत ब्यूरो कार्यालय मे ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गई तथा उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तीब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामील कार्यवाही की गई। एवं फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 05.04.2022 समय 10:30एएम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री भैरूलाल रैंगर मय स्वतंत्र गवाह श्री राजेन्द्र सिंह व श्री उमाशंकर मय जाप्ता श्री दिनेश कुमार कानि., श्री मान सिंह कानि., मय प्राईवेट वाहन टवेरा नम्बर आरजे 27 टीए 6727 मय चालक श्री विजेन्द्र पाल के व श्री श्यामलाल हैड कानि. ,श्री राजेश पुलिस उप निरीक्षक प्राईवेट मोटरसाईकिल के व श्री सुरजमल कानि., श्री सुनिल कुमार कानि. के गंगरार की ओर रवाना हुए। दिनांक 05.04.2022 समय 11:15 एएम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त फिगरा के रवाना शुदा समग्र शिक्षा अभियान पंचायत समिति गंगरार जिला चित्तौडगढ से कुछ पहले पहूंचें जहां पर प्राईवेट टवेरा एवं मोटर साईकिलों को रूकवाकर वाहनों को साईड में खडा करवाया गया तथा परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर परिवादी की मोटरसाईकिल से ही समग्र शिक्षा अभियान पंचायत समिति गंगरार के लिये रवाना किया गया। परिवादी के पीछे–पीछे मोटरसाईकिल से श्री श्याम लाल हैड कानि0 व श्री सुनिल कुमार कानि0 को व श्री मान सिंह कानि. व श्री दिनेश कुमार कानि. को भी मोटरसाईकिल से रवाना किया गया तथा हम सब भी समग्र शिक्षा अभियान पंचायत समिति गंगरार के आस–पास अपनी–अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी के निर्धारित गोपनीय ईशारे का इन्तजार करने लगे। दिनांक 05.04.2022 समय 11:40 एएम. पर परिवादी श्री भैरूलाल रैंगर ने समग्र शिक्षा अभियान पंचायत समिति गंगरार कार्यालय से आकर मन् पुलिस निरीक्षक को बताया की श्री सत्येन्द्र सनाढ्य जईन साहब कार्यालय में नहीं है। इस पर करिब 11:40 एएम पर परिवादी के मोबाईल नम्बर 9680097988 से

आरोपी श्री सत्येन्द्र सनाढ्य के मोबाईल नम्बर 9460614091 पर वार्ता कराई गई। जो डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में परिवादी के मोबाईल का ओपन स्पीकर करके रिकार्ड की गई। जिस पर परिवादी ने बताया की रूपयों की व्यवस्था हो गई है, आप कहां हो सर, तो जईन ने बताया की मैं घर पर हूॅ। आप मेरे घर पर ही आ जाओ। उक्त मोबाईल वार्ता की फर्द पृथक से मुर्तिब की गई। दिनांक 05.04.2022 समय 11:50 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री भैरूलाल रैंगर को डिजिटल वॉईस टेप रिकोर्डर देकर आरोपी के घर की तरफ रवाना किया व मन् पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता मय प्राईवेट वाहन टवेरा से व परिवादी के पीछे–पीछे मोटरसाईकिल से श्री श्याम लाल हैड कानि0 व श्री सुनिल कुमार कानि0 को व श्री मान सिंह कानि. व श्री दिनेश कुमार कानि. को भी मोटरसाईकिल से रवाना किया गया। दिनांक 05.04.2022 समय 12:05 पी.एम पर परिवादी भैरूलाल रैंगर ने आरोपी का ससुराल होकर अस्थाई निवास के बाहर गेट पर खडे होकर निर्धारित गोपनीय ईशारा किया जिसे श्री श्याम लाल हैड कानि0 ने देखकर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान को ईशारा किया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक, दोनो स्वतन्त्र गवाहान मय ट्रेप पार्टी के सदस्यों के तेज–तेज कदमों से चलते हुए परिवादी के पास पहुंचे जहां पर परिवादी ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर पेश किया जिसे बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा तथा उसी समय एक व्यक्ति मकान के गेट पर खड़ा था जिसकी ओर ईशारा कर परिवादी ने बताया कि यहीं श्री सत्येन्द्र सनाढ्य, कनिष्ठ अभियंता है जिनको मैने अभी–अभी 7500 रूपये रिश्वत राशि दी है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त व्यक्ति को अपना तथा ट्रेप पार्टी का परिचय देते हुए अपने मन्तव्य से अवगत कराते हुए उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री सत्येन्द्र सनाढ्य, पुत्र श्री ब्रजमोहन सनाढ्य उम्र 45वर्ष निवासी 18 फ्रेडस कॉलोनी, चामटीखेड़ा रोड, जिला चितौड़गढ हाल कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान पंचायत समिति गंगरार, जिला चितौड़गढ होना बताया। इसके उपरान्त श्री सत्येन्द्र सनाढ्य, कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान पंचायत समिति गंगरार, जिला चितौड़गढ से परिवादी श्री भैरूलाल रैंगर से 7500 रूपये रिश्वत राशि लेने बाबत् पूछा तो वह घबरा गया तथा पुनः तसल्ली देकर पूछा तो कहा कि साहब मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ करो तथा बताया कि अभी कुछ देर पहले श्री भैरूलाल रैंगर मेरे पास आये थे जिन्होने मुझे 7500 रूपये दिये है जिन्हें मैने हाथ मे लेकर गिनने के उपरान्त अपनी पहनी हुई पेन्ट पिछे दाहिनी जेब मे रखे है। जिस पर गवाह श्री उमाशंकर, कनिष्ठ लिपिक से आरोपी की तलाशी लिवाई गई तो आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की पिछे की दाहिनी जेब से रिश्वत राशि निकाल कर पेश की जिसे पूर्व में बनी हुई फर्द पेशकशी से नोटों के नम्बरों से मिलान किया तो हुबहु होना पाया गया व आरोपी की पहनी पेन्ट से एमआई कम्पनी बरंग काला एन्ड्रोयड फोन जिसमें दो सिम होकर पेश की जिसे भी वजह सबुत होने से ब्यूरो कब्जे लिया जाकर आरोपी श्री सत्येन्द्र सनाढ्य, कनिष्ठ अभियन्ता को पूछा की आपने उक्त 7500 रूपये की राशि श्री भैरूलाल रैंगर से किस बात के लिये है। इस पर श्री सत्येन्द्र सनाढ्य, कनिष्ठ अभियन्ता ने बताया कि मैनें श्री भैरूलाल रैंगर से उक्त 7500 रूपये की राशि उसके द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उण्डवा में एक कमरें के निर्माण व दूसरे कमरें की मरम्मत कार्य किया जा रहा है, जिसका समय–समय पर मेरे द्वारा भौतिक स्थिति का निरीक्षण किया गया। तो उक्त निर्माण कार्य में अनियमितता व कमीयां पाई जाने से निरीक्षण नोट में नोट अंकन किया था। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री सत्येन्द्र सनाढ्य, कनिष्ठ अभियन्ता को पूछा कि नियमानुसार नकद राशि प्राप्त करने का आपको क्या अधिकार है जबकि आपके द्वारा भौतिक निरीक्षण के दौरान परिवादी द्वारा किये गये कार्यों में अनियमितता व कमियों का निरीक्षण रिपोर्ट में नोट अंकन कर दिया गया था। इस पर श्री सत्येन्द्र सनाढ्य, कनिष्ठ अभियन्ता ने बताया कि मुझसे गलती हो गई है, सरकारी नियमों के अनुसार मुझे नकद राशि प्राप्त करने का कोई अधिकार नही है। इसके उपरान्त श्री सत्येन्द्र सनाढ्य, कनिष्ठ अभियन्ता का अस्थाई निवास ससुराल होने से एवं भीड़–भाड़ वाला इलाका से सुरक्षा की दृष्टी से आरोपी श्री सत्येन्द्र सनाढ्य को मन् पुलिस निरिक्षक द्वारा हमराई जाप्ता के साथ लेकर पुलिस थाना गंगरार के लिए रवाना हुये। दिनांक 05.04.2022 समय 12:40 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान मय आरोपी श्री सत्येन्द्र सनाढ्य कनिष्ठ अभियन्ता के थाना गंगरार पहुचें जहां पर उपस्थित ड्यूटी ऑफिसर से ट्रेप कार्यवाही हेतु एक सुरक्षित कक्ष उपलब्ध कराने हेतु आग्रह किया जिस पर थाना परिसर में स्थित स्वागत कक्ष उपलब्ध करवाया गया। दिनांक 05.04.2022 समय 12:50 पी.एम. पर दर्ज रहे कि समय करीब 12:05 पी.एम. पर परिवादी भैरूलाल रैंगर ने आरोपी का ससुराल होकर अस्थाई निवास के बाहर गेट पर खडे होकर निर्धारित गोपनीय ईशारा किया जिसे श्री श्याम लाल हैड कानि0 ने देखकर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान को ईशारा किया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक, दोनो स्वतन्त्र गवाहान मय ट्रेप पार्टी के सदस्यों के तेज–तेज कदमों से चलते हुए परिवादी के पास पहुंचे जहां पर परिवादी ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर पेश किया जिसे बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा तथा उसी समय एक व्यक्ति मकान के गेट पर खड़ा था जिसकी ओर ईशारा कर परिवादी ने बताया कि यहीं श्री सत्येन्द्र सनाढ्य, कनिष्ठ अभियंता है जिनको मैने अभी–अभी 7500 रूपये रिश्वत राशि दी है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त व्यक्ति को अपना

तथा ट्रेप पार्टी का परिचय देते हुए अपने मन्तव्य से अवगत कराते हुए उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री सत्येन्द्र सनाढ्य, पुत्र श्री ब्रजमोहन सनाढ्य उम्र 45वर्ष निवासी 18 फ्रेडस कॉलोनी, चामटीखेड़ा रोड, जिला चितौड़गढ हाल कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान पंचायत समिति गंगरार, जिला चितौड़गढ होना बताया। इसके उपरान्त श्री सत्येन्द्र सनाढ्य, कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान पंचायत समिति गंगरार, जिला चितौड़गढ से परिवादी श्री भैरूलाल रैंगर से 7500 रूपये रिश्वत राशि लेने बाबत् पूछा तो वह घबरा गया तथा पुनः तसल्ली देकर पूछा तो कहा कि साहब मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ करो तथा बताया कि अभी कुछ देर पहले श्री भैरूलाल रैंगर मेरे पास आये थे जिन्होने मुझे 7500 रूपये दिये है जिन्हें मैने हाथ मे लेकर गिनने के उपरान्त अपनी पहनी हुई पेन्ट पिछे दाहिनी जेब मे रखे है। जिस पर गवाह श्री उमाशंकर, कनिष्ठ लिपिक से आरोपी की तलाशी लिवाई गई तो आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की पिछे की दाहिनी जेब से रिश्वत राशि निकाल कर पेश की जिसे पूर्व में बनी हुई फर्द पेशकशी से नोटों के नम्बरों से मिलान किया तो हुबहु होना पाया गया जो निम्नानुसार है:-

1	एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी	8KC 351861
2	एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी	0DK 930841
3	एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी	2PE 338883
4	एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी	3RM 483563
5	एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी	5HT 142714
6	एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी	4AN 396269
7	एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी	7ES 681213
8	एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी	6BB 210269
9	एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी	9HH 631955
10	एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी	2FD 415549
11	एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी	1GC 594742
12	एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी	5NT 791900
13	एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी	2PT 343641
14	एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी	1BU 454198
15	एक नोट 500/- रूपये का नम्बरी	9AT 902183

इसके उपरान्त गवाह श्री उमाशंकर ने आरोपी की पहनी पेन्ट से एमआई कम्पनी बरंग काला एन्ड्रोयड फोन जिसमें दो सिम होकर पेश की जिसे भी वजह सबुत होने से ब्यूरो कब्जे लिया जाकर आरोपी श्री सत्येन्द्र सनाढ्य, कनिष्ठ अभियन्ता को पूछा की आपने उक्त 7500 रूपये की राशि श्री भैरूलाल रैंगर से किस बात के लिये है इस पर श्री सत्येन्द्र सनाढ्य, कनिष्ठ अभियन्ता ने बताया कि मैनें श्री भैरूलाल रैंगर से उक्त 7500 रूपये की राशि उसके द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उण्डवा में एक कमरें के निर्माण व दूसरे कमरें की मरम्मत कार्य किया जा रहा है, जिसका समय-समय पर मेरे द्वारा भौतिक स्थिति का निरीक्षण किया गया। तो उक्त निर्माण कार्य में अनियमितता व कमीयां पाई जाने से निरीक्षण नोट में नोट अंकन किया था। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री सत्येन्द्र सनाढ्य, कनिष्ठ अभियन्ता को पूछा कि नियमानुसार नकद राशि प्राप्त करने का आपको क्या अधिकार है जबकि आपके द्वारा भौतिक निरीक्षण के दौरान परिवादी द्वारा किये गये कार्यो में अनियमितता व कमियों का निरीक्षण रिपोर्ट में नोट अंकन कर दिया गया था। इस पर श्री सत्येन्द्र सनाढ्य, कनिष्ठ अभियन्ता ने बताया कि मुझसे गलती हो गई है, सरकारी नियमों के अनुसार मुझे नकद राशि प्राप्त करने का कोई अधिकार नही है। इसके उपरान्त श्री सत्येन्द्र सनाढ्य, कनिष्ठ अभियन्ता का अस्थाई निवास ससुराल होने से एवं भीड़-भाड़ वाला इलाका से सुरक्षा की दृष्टी से आरोपी श्री सत्येन्द्र सनाढ्य को मन् पुलिस निरिक्षक द्वारा हमराई जाप्ता के साथ लेकर पुलिस थाना गंगरार के लिए रवाना हुये। इसके उपरान्त मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान मय आरोपी श्री सत्येन्द्र सनाढ्य कनिष्ठ अभियन्ता के थाना गंगरार पहुचें जहां पर उपस्थित ड्यूटी ऑफिसर से ट्रेप कार्यवाही हेतु एक सुरक्षित कक्ष उपलब्ध कराने हेतु आग्रह किया जिस पर थाना परिसर में स्थित स्वागत कक्ष उपलब्ध करवाया गया। इसके उपरान्त आरोपी श्री सत्येन्द्र सनाढ्य, कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान पंचायत समिति गंगरार, जिला चितौड़गढ द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करना स्वीकार करने से नियमानुसार आरोपी श्री सत्येन्द्र सनाढ्य, कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान पंचायत समिति गंगरार, जिला चितौड़गढ के हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई जिस पर श्री श्याम लाल हैड कानि0 द्वारा दो साफ कॉच की गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो दोनो गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे हाजरीन द्वारा रंगहीन होना स्वीकार करने पर

एक कॉच की गिलास के घोल में आरोपी श्री सत्येन्द्र सनाढ्य, कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान पंचायत समिति गंगरार, जिला चितौड़गढ के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ, जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। इस हल्के गुलाबी घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सिलचिट बन्द करा मार्क आर.एच.–1 व आर.एच.–2 अंकित करा चिट व कपड़े पर दोनो आरोपीगण, दोनो गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार आरोपी श्री सत्येन्द्र सनाढ्य, कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान पंचायत समिति गंगरार, जिला चितौड़गढ के बायें हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को दूसरे कांच के गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। इस हल्के गुलाबी घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सिलचिट बन्द करा मार्क एल.एच.–1 व एल.एच.–2 अंकित करा चिट व कपड़े पर दोनो आरोपीगण, दोनो गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके उपरान्त उक्त बरामद शुदा रिश्वत राशि 7500 रूपये को एक सफेद कागज मे सिल कर दोनो आरोपीगण, दोनो गवाहान, परिवादी एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा सिलचिट कर कब्जे ब्यूरो लिये गये। इसके उपरान्त पुनः एक साफ कॉच की गिलास में साफ पानी भरवाकर इनमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उस कॉच की गिलास के घोल में आरोपी श्री सत्येन्द्र सनाढ्य, कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान पंचायत समिति गंगरार, जिला चितौड़गढ की पहनी हुई पेन्ट को सम्मानजनक तरीके से उतरवाई जाकर अन्य पेन्ट की व्यवस्था करवाकर पहनाई गई तथा आरोपी श्री सत्येन्द्र सनाढ्य की उतरवाई गई पेन्ट की पिछे की दाहिनीं जेब को उलटवाकर उक्त रंगहीन घोल मे डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। उक्त हल्के गुलाबी घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सिलचिट बन्द करा मार्क पी.–1 व पी.–2 अंकित करा चिट व कपड़े पर दोनो आरोपीगण, दोनो गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके उपरान्त आरोपी श्री सत्येन्द्र सनाढ्य, कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान पंचायत समिति गंगरार, जिला चितौड़गढ के द्वारा वक्त ट्रेप पहनी हुई पेन्ट बरंग काली की दाहिनी जेब को सुखाकर उक्त जेब पर आरोपी, दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाने के उपरान्त उक्त पेन्ट को बतौर वजह सबूत जब्त किये जाने से उक्त पेन्ट को कपडे की थैली मे रखकर सिलचिट कर कपडे की थैली पर आरोपी, दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा ब्यूरो कब्जे लिये गये। इसके उपरान्त आरोपी श्री सत्येन्द्र सनाढ्य, कनिष्ठ अभियन्ता से परिवादी श्री भैरूलाल रैंगर द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उण्डवा तहसील गंगरार जिला चितौड़गढ से संबंधीत दस्तावेज मांगे तो आरोपी श्री सत्येन्द्र सनाढ्य कनिष्ठ अभियन्ता ने अपने कार्यालय से दस्तावेज मंगवाये जो मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये जिसे बाद अवलोकन आरोपी दोनो स्वतन्त्र गवाहान, एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवार शामिल कार्यवाही किये गये। उपरोक्त कार्यवाही के दौरान प्रयुक्त की गई ब्यूरो कार्यालय की नमूना सील को फर्द में अंकित किया गया। दिनांक 05.04.2022 समय 3:00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दिनांक 05.04.2022 को परिवादी श्री भैरूलाल रैंगर एवं आरोपी श्री सत्येन्द्र सनाढ्य, कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान पंचायत समिति गंगरार, जिला चितौड़गढ के बीच दिनांक 05.04.2022 को रिश्वत लेन–देन के संबंध में हुई मोबाईल वार्ता जो डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड की गई को कम्प्युटर से कनेक्ट कर मूल सीडी एवं डब सीडी श्री सुरजमल कानि. 247 से तैयार करवाई गई। मूल सीडी चलाकर उपरोक्त मौतबिरानों तथा परिवादी को सुनाई गई, सी.डी. पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर कपडे की थैली को सिलचिट किया जाकर कपडे की थैली पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये तथा डब सी.डी. पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 05.04.2022 समय 3:30 पी.एम. पर परिवादी श्री भैरूलाल रैंगर एवं आरोपी श्री सत्येन्द्र सनाढ्य, कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान पंचायत समिति गंगरार, जिला चितौड़गढ के बीच दिनांक 05.04.2022 को वक्त रिश्वत लेन–देन हुई वार्ता जो डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड की गई को कम्प्युटर से कनेक्ट कर मूल सीडी एवं डब सीडी श्री सुरजमल कानि. 247 से तैयार करवाई गई। मूल सीडी चलाकर उपरोक्त मौतबिरानों तथा परिवादी को सुनाई गई, सी.डी. पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर कपडे की थैली को सिलचिट किया जाकर कपडे की थैली पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये तथा डब सी.डी. पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 05.04.2022 समय 5:10 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक दया लाल चौहान द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष घटनास्थल का पृथक से आरोपी की निशांदही से नक्शा मौका तैयार किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका अलग से मूर्तिब किया गया, जिस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। एव आरोपी का ससुराल में अस्थाई आवास होने से खाना तलाशी आवश्यक नहीं होने से नहीं लि गई,

आईन्दा आरोपी के स्थाई निवास 18 फ्रेण्डस कॉलोनी चामाटीखेड़ा चितौड़गढ, जिला चितौड़गढ की पृथक से लि जायेगी। दिनांक 05.04.2022 समय 5:40 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री सत्येन्द्र सनाढ्य, कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान पंचायत समिति गंगरार, जिला चितौड़गढ के पहनी हुई पेन्ट से एमआई कम्पनी बरंग काला एन्ड्रोयड फोन जिसमें दो सिम होकर जप्तशुद्धा को वजह सबुत होने से एक सफेद कपड़े की थैली में रख सिलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं फर्द जप्ती मुर्तिब की गई। दिनांक 05.04.2022 समय 6:00 पी.एम. पर परिवादी भैरूलाल रैंगर तथा आरोपी श्री सत्येन्द्र सनाढ्य, कनिष्ठ अभियन्ता के मध्य दिनांक 01.04.2022 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता तथा दिनांक 05.04.2022 को हुई रिश्वत राशि लेन–देन संबंधित मोबाईल वार्ता एवं वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता के दौरान परिवादी श्री भैरूलाल रैंगर तथा आरोपी श्री सत्येन्द्र सनाढ्य, कनिष्ठ अभियन्ता के मध्य हुई वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु सरकारी डिजिटल वाईस टेप रिकॉर्डर मे उपयोग लिया गया सेनडिस्क कम्पनी का सरकारी मूल मेमोरी कार्ड जो 16 जी.बी का है, उक्त मूल सरकारी मेमोरी कार्ड जिसमे उपरोक्त वार्ताएं रिकॉर्ड है, उक्त मेमोरी कार्ड कागज के लिफाफे में डालकर उक्त लिफाफे को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर कपडे की थैली को सिल्ड् कर मार्क "एम." अंकित कर कपडे की थैली पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 05.04.2022 समय 6:30 पी.एम. पर अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री सत्येन्द्र सनाढ्य, कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान पंचायत समिति गंगरार, जिला चितौड़गढ के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, पी. सी. एक्ट संशोधित (2018) में प्रथम दृष्ट्या अपराध प्रमाणित होने से आरोपी श्री सत्येन्द्र सनाढ्य, पुत्र श्री ब्रजमोहन सनाढ्य उम्र 45 साल निवासी 18 फ्रेण्डस कॉलोनी चामाटीखेड़ा चितौड़गढ, जिला चितौड़गढ हाल कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान पंचायत समिति गंगरार, जिला चितौड़गढ को उसके द्वारा किये गये जूर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी अलग से मूर्तिब कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये गये। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार उसकी पत्नी श्रीमति शीतल सनाढ्य को जरिये मोबाईल, सूचना दी गई। दिनांक 05.04.2022 समय 7:00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान मय हमराहीयान एवं जब्त शुदा समस्त आर्टीकल्स धोवन की शिशियां सिलचिट शुदा एवं सिलचिट शुदा रिश्वत राशि 7500रूपये मय लेपटॉप, प्रिन्टर मय डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर एवं आरोपी को हमराह लेकर प्राईवेट वाहन टवेरा एवं प्राईवेट मोटर साईकिलों से ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ के लिये रवाना हुए। साथ ही परिवादी श्री भैरूलाल रैगर को रूकसत दी गई। दिनांक 05.04.2022 समय 7:50 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त फिगरा के रवाना शुदा ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर पहूंचा जहां पर आरोपी को निगरानी में बैठाया गया एवं एवं जब्त शुदा समस्त आर्टीकल्स धोवन की शिशियां सिलचिट शुदा एवं सिलचिट शुदा रिश्वत राशि 7500 रूपये को मालखाने में सुरक्षित रखने हेतु मालखाना इंचार्ज श्री श्याम लाल हैड कानि0 को सुपुर्द किये गये। रात्रीसब हो जाने से एवं आरोपी के घर पत्नी एवं बच्चे होने से विधिक प्रावधनों के अनुरूप आरोपी के निवास स्थान खाना तलाशी महिला कानि0 की मौजुदगी में पृथक से ली जायेगी। दोनों स्वतंत्र गवाहन को सुबह 9:00 एएम पर कार्यालय में आने की हिदायत देकर रूकसत किया गया दिनांक 06.04.2022 समय 1:40 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री सत्येन्द्र सनाढ्य, कनिष्ठ अभियन्ता को ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ के श्री श्याम लाल हैड कानि0 एवं श्री सुनिल कुमार कानि0 के हमराह मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक श्री जयराम के आरोपी का सांवलियाजी, राजकीय चिकित्सालय चित्तौडगढ से कोविड 19 की जांच एवं स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर पुलिस थाना कोतवाली चित्तौडगढ की हवालात मे दाखिल करवाने हेतु जरिये अलग–अलग तहरीर दी जाकर रवाना किया गया। दिनांक 06.04.2022 समय 2:40 एएम. पर मन् पुलिस निरीक्षक को ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ के उपरोक्त फिगरा के रवाना शुदा श्री श्याम लाल हैड कानि0 एवं श्री सुनिल कुमार कानि0 के हमराह मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक श्री जयराम कानि0 के आकर बताया कि आरोपी श्री सत्येन्द्र सनाढ्य का सांवलियाजी, राजकीय चिकित्सालय चित्तौडगढ से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर रवाना हो पुलिस थाना कोतवाली चित्तौडगढ की हवालात मे दाखिल करा आरोपी की स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट एवं थाने की प्राप्ति रसीद लेकर पुनः ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर उपस्थित आये जिसका अवलोकन कर शामील पत्रावली किया गया। श्री श्याम लाल हैड कानि0 ने बताया कि आरोपी की कोविड 19 की जांच आज नही हो पाई है तथा आज दिनांक 06.04.2022 को प्रातः होगी जिस पर आईन्दा आरोपी की कोविड 19 की जांच कराई गई जायेगी। दिनांक 06.04.2022 समय 9:20 एएम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री श्याम लाल हैड कानि0 एवं श्री सुनिल कुमार कानि0 को मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक श्री जयराम निर्देश दिये कि आरोपी श्री सत्येन्द्र सनाढ्य कनिष्ठ अभियन्ता को पुलिस थाना कोतवाली चित्तौडगढ से प्राप्त कर सांवलियाजी, राजकीय चिकित्सालय चित्तौडगढ पर आरोपी की कोविड 19 की जांच करवाने हेतु रवाना किया। दिनांक 06.04.2022 समय 10:20 एएम. पर श्री श्याम लाल हैड कानि0 एवं श्री सुनिल कुमार कानि0 मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक श्री जयराम आरोपी श्री

सत्येन्द्र सनाढ्य कनिष्ठ अभियन्ता को पुलिस थाना कोतवाली चित्तौडगढ से प्राप्त कर सांवलियाजी, राजकीय चिकित्सालय चित्तौडगढ पर आरोपी की कोविड 19 की जांच करवाकर जांच रिपोर्ट प्राप्त कर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये कोविड–19 जांच रिपोर्ट पेश की जिसका अवलोकन कर शामील पत्रावली किया गया। आरोपी को ब्यूरो कार्यालय में निगरानी में बैठाया गया। दिनांक 06.04.2022 समय 10.30 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक हमराह जाप्ता उपरोक्त मौतबिरान व आरोपी श्री सत्येन्द्र सनाढ्य, कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान पंचायत समिति गंगरार, जिला चितौड़गढ के आरोपी के रिहाईशी मकान 18 फ्रेण्डस कॉलोनी चामटी खेड़ा चितौड़गढ पर पहुंचा। जंहा पर आरोपी के निवास स्थान की खाना तलाशी ली गई फर्द खाना तलाशी पृथक से मूर्तिब की जाकर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 06.04.2022 समय 11.15 एएम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमरा जाप्ता मय आरोपी के निवास स्थान की खाना तलाशी लेकर कार्यालय हाजा मे उपस्थित आया और कार्यालय हाजा से दोनो स्वतन्त्र गवाहन को रूखसत किया गया। दिनांक 06.04.2022 समय 12.15 एएम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय कानि0 मानसिहं मय आरोपी श्री सत्येन्द्र सनाढ्य, कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान पंचायत समिति गंगरार, जिला चितौड़गढ मय सरकारी वाहन मय चालक श्री जयराम के आरोपी को माननीय एसीबी कोर्ट उदयपुर मे पेश करने हेतु रवाना उदयपुर हुआ। दिनांक 06.04.2022 समय 05.30 पी. एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय कानि0 मानसिहं मय आरोपी श्री सत्येन्द्र सनाढ्य कनिष्ठ अभियंता(संविदाकर्मी) कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान पंचायत समिति गंगरार, जिला चितौड़गढ मय सरकारी वाहन मय चालक श्री जयराम के आरोपी को माननीय एसीबी कोर्ट उदयपुर मे पेश करने हेतु रवाना शुद्वा उदयपुर पंहुचा जंहा आरोपी श्री सत्येन्द्र सनाढ्य को माननीय एसीबी कोर्ट में पेश किया जंहा से आरोपी को जेसी किये जाने से जेसी वारण्ट प्राप्त कर आरोपी को केन्द्रीय कारागृह उदयपुर में जमा कराया जाकर रसीद प्राप्त की गई बाद फारिक रवाना उदयपुर से भ्रनिब्यूरों कार्यालय चित्तौडगढ हुआ। दिनांक 06.04. 2022 समय 07.00 पी. एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय कानि0 मानसिहं मय सरकारी वाहन मय चालक श्री जयराम के उदयपुर से रवाना शुदा ब्यूरों कार्यालय चित्तौडगढ पंहुचा प्रकरण में आरोपी श्री सत्येन्द्र सनाढ्य कनिष्ठ अभियंता(संविदाकर्मी) कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान पंचायत समिति गंगरार, जिला चितौड़गढ के विरूद्व नियमानुसार ट्रेप कार्यवाही की जुर्म अन्तर्गत धारा 7, पी.सी.एक्ट (संशोधित) 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते कंमाकन हेतु मुख्यालय प्रेषित की जायेगी।

भवदीय,

(दर्या लाल चौहान)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
चित्तौड़गढ़

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री दया लाल चौहान, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सत्येन्द्र सनाढ्य, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदाकर्मी) कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान पंचायत समिति गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 117/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

6.4.22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 1037-41 दिनांक 6.4.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला परियोजना समन्वयक,समग्र शिक्षा अभियान, चित्तौड़गढ़।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़।

6.4.22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।